

प्रेषक,

एल.एन. पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून:: दिनांक: 04 :अप्रैल,2013

विषय:- 13वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 की प्रथम किश्त हेतु क्षेत्र पंचायतों को धनराशि का संकमण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश की समस्त क्षेत्र पंचायतों को विगत वित्तीय वर्ष 2012-13 की प्रथम किश्त हेतु कुल धनराशि ₹78363000.00 (सात करोड़ तिरासी लाख तिरसठ हजार मात्र) को संलग्नानुसार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नहीं की जा सकेगी।

3-13वाँ वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गई है कि संक्रमित धनराशि से निम्न कार्य कराये जा सकते हैं:-

(1) पथ प्रकाश (2) पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण (3) स्वच्छता (4) परिसम्पत्तियों का निर्माण (5) स्वजल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित जलापूर्ति परिसम्पत्तियों को अपने हाथ में लेकर उनका अनुरक्षण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के निर्माण आदि कार्य किये जाने चाहिए।

4-क्षेत्र पंचायतें केवल अन्तर्ग्रामीण (Inter Village) की योजनाएँ ही चयनित करेंगीं।

5-कोषागार से संक्रमित की जा रही धनराशि आहरित करने हेतु बिल जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

6-जिला पंचायत राज अधिकारी प्रत्येक स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर सम्बंधित क्षेत्र पंचायतों को धनराशि चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

7-अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बंधित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायेंगे। समय से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने पर भारत सरकार द्वारा अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी। यदि उपयोगिता प्रमाण-पत्र के विलम्ब के कारण कोई धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये जिला पंचायत राज अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

3/5/2013

4/5

- 8-संक्रमित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर दिनांक 31 जून,2013 तक उपलब्ध करायेंगे।
- 9-संक्रमित धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का ब्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
- 10-संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।
- 11-संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604-स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर-02-पंचायती राज संस्थायें-197-विकास खण्ड स्तरीय पंचायत-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0103-13वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(एल.एन. पन्त)

अपर सचिव, वित्त।

संख्या 366-७ / (XXVII (1) / 2013, तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
- 2-आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल,उत्तराखण्ड।
- 3- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी 23 लक्ष्मी रोड़ उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5-निदेशक,पंचायतीराज, उत्तराखण्ड-देहरादून।
- 6-निदेशक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग,ब्लाक 11, पंचम तल सी०जी०ओ० कोम्पलेक्स नई दिल्ली।
- 7-समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 8-निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 9-वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
- 10-एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(एल.एन. पन्त)

अपर सचिव, वित्त

शासनादेश संख्या: 306-B / XXVII (1) / 2013

दिनांक: 04 अप्रैल, 2013 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में क्षेत्र पंचायतों हेतु 13वें वित्त आयोग से प्राप्त प्रथम किश्त की धनराशि का विवरण।

(धनराशि ₹ हजार में)

जनपद का नाम	क.सं.	क्षेत्र पंचायत का नाम	अवमुक्त की जा रही प्रथम किश्त की धनराशि
1	2	3	4
1- अल्मोडा	1	भैसियाछाना	421
	2	भिक्यासैण	590
	3	चौखुटिया	668
	4	धौलादेवी	823
	5	द्वाराहाट	790
	6	हवलबाग	840
	7	लमगड़ा	667
	8	सल्ट	842
	9	स्याल्दे-	680
	10	ताकुला	616
	11	ताडीखेत	873
		योग:-	7810
2- बागेश्वर	1	बागेश्वर	1151
	2	गरुड़	764
	3	कपकोट	1032
		योग:-	2947
3- चमोली	1	दशोली	735
	2	देवाल	514
	3	गैरसैण	811
	4	घाट	530
	5	जोशीमठ	1551
	6	कर्णप्रयाग	636
	7	नारायणबगड़ा	526
	8	पोखरी	639
	9	थराली	529
		योग:-	6471
4- चम्पावत	1	बाराकोट	421
	2	चम्पावत	990
	3	लोहाघाट	577
	4	पाटी	644
		योग:-	2632

(धनराशि ₹ हजार में)


जनपद का नाम	क.सं.	क्षेत्र पंचायत का नाम	अवमुक्त की जा रही प्रथम किश्त की धनराशि
1	2	3	4
5- देहरादून	1	चकराता	732
	2	डोईवाला	1400
	3	कालसी	694
	4	रायपुर	961
	5	सहसपुर	1225
	6	विकासनगर	1212
		योग:-	6224
6- हरिद्वार	1	बहादुराबाद	2215
	2	भगवानपुर	1674
	3	खानपुर	509
	4	लक्सर	1334
	5	नारसन	1613
	6	रुड़की	1914
		योग:-	9259
7- नैनीताल	1	बेतालघाट	554
	2	भीमताल	594
	3	धारी	397
	4	हल्द्वानी	1110
	5	कोटाबाग	520
	6	ओखलकाण्डा	592
	7	रामगढ़	515
	8	रामनगर	774
		योग:-	5056
8- पौड़ी	1	बीरोंखाल	691
	2	दुगड्डा	997
	3	द्वारीखाल	786
	4	एकेश्वर	529
	5	कल्जीखाल	566
	6	खिसू	412
	7	कोट	476
	8	लैंसडाउन	553
	9	नैनीडांडा	597
	10	पाबो	635
	11	पौड़ी	480
	12	पोखड़ा	435
	13	रिखडीखाल	578

जनपद का नाम	क.सं.	क्षेत्र पंचायत का नाम	अवमुक्त की जा रही प्रथम किश्त की धनराशि
1	2	3	4
	14	थलीसैण	835
	15	यमकेश्वर	736
		योग:-	9306
9- पिथौरागढ़	1	बेरीनाग	670
	2	धारचूला	1540
	3	डीडीहाट	537
	4	गंगोलीहाट	897
	5	कनालीछीना	679
	6	मुनाकोट	621
	7	मुनस्यारी	1433
	8	पिथौरागढ़	706
		योग:-	7083
10- रुद्रप्रयाग	1	अगस्तमुनि	1276
	2	जखोली	742
	3	ऊखीमठ	824
		योग:-	2842
11- टिहरी	1	भीलंगना	1544
	2	चम्बा	801
	3	देवप्रयाग	784
	4	जाखणीधार	683
	5	जौनपुर	904
	6	कीर्तिनगर	615
	7	नरेन्द्रनगर	792
	8	प्रतापनगर	747
	9	थौलधार	679
		योग:-	7549
12- उधमसिंह नगर	1	बाजपुर	1048
	2	गदरपुर	1051
	3	जसपुर	1005
	4	काशीपुर	575
	5	खटीमा	1542
	6	रुद्रपुर	1120
	7	सितारगंज	1422
		योग:-	7763
13- उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी	687
	2	चिन्यालीसौड	584

(धनराशि ₹ हजार में)

जनपद का नाम	क.सं.	क्षेत्र पंचायत का नाम	अवमुक्त की जा रही प्रथम किश्त की धनराशि
1	2	3	4
	3	डुण्डा	689
	4	मोरी	243
	5	नौगांव	824
	6	पुरोला	394
		योग:-	3421
		महायोग:-	78363

(रिंसात करोड़ तिरासी लाख तिरसठ हजार मात्र)


(एल.एन. पन्त)
अपर सचिव, वित्त।